

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 42/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004, (2004 का 23), वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 139, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) और वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 116 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित उन अधिसूचनाओं को, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट है, जिनको उक्त सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट सा.का.नि. संख्या के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है,

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	सा.का.नि. संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	7/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 02.02.2018	110 (अ) दिनांक 02.02.2018
2.	8/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 02.02.2018	111 (अ) दिनांक 02.02.2018
3.	19/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 02.02.2018	122 (अ) दिनांक 02.02.2018
4.	20/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 02.02.2018	123 (अ) दिनांक 02.02.2018

[फाइल संख्या 334/04/2018-टीआरआयू भाग]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार